

कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, ब्लाक-डी (भू-तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ0ग0)

☎ - 2263708, 2262558 Fax - 2262558

Email Id - pmscstobs@gmail.com

क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./162/2023-24/12397 नवा रायपुर, दिनांक 15/02/2024
प्रति,


आयुक्त
जनसंपर्क
छ0ग0 रायपुर

विषय:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) वर्ष 2023-24 की ऑनलाईन स्वीकृति संबंधी प्रेस विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करने बावत्।

-00-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ0ग0 राज्य एवं छ0ग0 राज्य के बाहर अध्ययनरत् (छ0ग0 के निवासी) जो शासकीय/अशासकीय आई.टी.आई., महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज एवं पॉलीटेक्निक में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों एवं प्राचार्यों/संस्था प्रमुखों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति की अंतिम तिथि की सूचना प्राप्त हो सके। इस हेतु राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- विज्ञप्ति।


(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, छ0ग0

पृ0क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./162/2023-24/12398 नवा रायपुर, दिनांक 15/02/2024
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) जिलाकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु साथ ही राज्य के बाहर अध्ययनरत् (नवीनीकरण) विद्यार्थियों को ईमेल/दूरभाष पर मैसेज के माध्यम से सूचना प्रसारित करने का कष्ट करें।
4. सहायक आयुक्त (समस्त), आदिवासी विकास जिलाकी ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि जिले में संचालित संस्थाओं को पोर्टल प्रारंभ तथा अंतिम तिथि की सूचना प्रेषित करते हुए जिले में प्रकाशित होने वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में उपरोक्त विज्ञप्ति को लगातार तीन दिवस प्रकाशित करायें साथ ही राज्य के बाहर अध्ययनरत् विद्यार्थियों को दूरभाष तथा ईमेल के माध्यम से आवेदन करने हेतु सूचना प्रदाय करें।


आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, छ0ग0

कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, ब्लाक-डी (भू-तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ0ग0)

☎ - 2263708, 2262558 Fax - 2262558

Email Id - pmscstobc@gmail.com

क्रमांक / ऑ.ला.पो.मै.छा. / 162 / 2023-24 / 12401

नवा रायपुर, दिनांक 15/02/2024

: : तिथि में वृद्धि सूचना प्रकाशन : :

वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अध्ययनरत् (छ0ग0 के निवासी) जो शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि में अध्ययनरत् है। जिनका संस्थाओं में प्रवेश विलम्ब से हुआ है तथा जिन पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित हुआ है, ऐसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।


जिसके अंतर्गत संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की जा रही है :-

क्र0	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	छ0ग0 राज्य में अध्ययनरत् विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 14.03.2024
1	छ0ग0 राज्य के बाहर अध्ययनरत् (छ0ग0 के निवासी) विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	दिनांक 15.03.2024 से दिनांक 26.03.2024
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 28.03.2024
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 30.03.2024
4	Disburse करने हेतु	दिनांक 31.03.2024 तक

यह अंतिम अवसर विद्यार्थियों को प्रदाय किया जा रहा है। निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2023-24 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन एवं Draft Proposal Lock, Sanction Order Lock करने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

नोट :-

छात्रवृत्ति का PFMS के माध्यम से आधार आधारित भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।


आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, छ0ग0